

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 19865/2023

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, रामकिशोर व्यास भवन, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान 302004
2. उपायुक्त जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, राकेश व्यास भवन, इंदिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान 302004

-----याचिकाकर्ता

बनाम

राजीव चतुर्वेदी पुत्र डीएस चतुर्वेदी, फॉरेस्ट हाउस, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के सामने, जयपुर रोड, अजमेर राजस्थान- वर्तमान पता एन-13, गांधी नगर, जयपुर राजस्थान।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री अमित कुरी, वकील
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री तनवीर अहमद, वकील के साथ
श्री मनीष परिहार, वकील

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

19/01/2024

प्रकाशनीय

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में 'एनसीडीआरसी') द्वारा पारित दिनांक 14.06.2022 और 13.04.2023 के आदेशों को चुनौती दी है।

2. उपरोक्त आदेश पारित करके, एनसीडीआरसी ने अभियोजन की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद, दिनांक 14.06.2022 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर बहाली आवेदन को भी एनसीडीआरसी ने दिनांक 13.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियां:

3. याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राजस्थान, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'राज्य आयोग') के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत संख्या 37/2017 दायर की थी और 27.09.2018 के आदेश द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया था और यह माना गया था कि शिकायतकर्ता प्रत्येक जमा राशि की तिथि से 9% ब्याज सहित 46,40,400 /- रुपये पाने का हकदार है। यह भी माना गया था कि शिकायतकर्ता मानसिक पीड़ा के लिए 2,00,000 /- रुपये मुआवजे के रूप में और कार्यवाही की लागत के रूप में 50,000 /- रुपये आदेश की तिथि से 9% ब्याज सहित पाने का हकदार है। वकील ने प्रस्तुत किया कि 27.09.2018 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ताओं ने एनसीडीआरसी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसमें 13.02.2020 का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया और याचिकाकर्ताओं को 46,40,400/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि एनसीडीआरसी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, उपरोक्त राशि जमा की गई और बाद में, इसे प्रतिवादियों के पक्ष में

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

जारी कर दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि एक दिन सुबह यानी 14.06.2022 को, याचिकाकर्ताओं की ओर से अभियोजन पक्ष के अभाव में अपील को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि अपील में तय और पोस्ट की गई तारीख याचिकाकर्ताओं के ज्ञान और नोटिस में नहीं थी और याचिकाकर्ताओं के वकील की उपस्थिति के अभाव में, अपील को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए, एनसीडीआरसी के समक्ष एक बहाली आवेदन प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, इसे भी 13.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि एनसीडीआरसी द्वारा पारित दिनांक 14.06.2022 और 13.04.2023 के दोनों आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 30332/2023 प्रस्तुत की और उसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 5263/2023 में मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंडियोरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन एवं अन्य द्वारा पारित निर्णय के आलोक में दिनांक 18.08.2023 के आदेश द्वारा निर्णय दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता प्रदान की। वकील ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.08.2023 के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने तत्काल रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की गैर-हाजिरी के बारे में एनसीडीआरसी के समक्ष एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया था, लेकिन उस पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर बहाली आवेदन

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

को खारिज कर दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उक्त आवेदन को वकील की गैर-हाजिरी के कारण खारिज कर दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कोई गलती हुई है, तो याचिकाकर्ताओं को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही एनसीडीआरसी द्वारा जारी अंतरिम निर्देश का अनुपालन कर लिया है और संबंधित राशि अर्थात 46,40,400 / - रुपये पहले ही जमा कर दिए गए हैं, इसलिए, मामले को पोस्ट किया जाना और इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय दिया जाना आवश्यक है। अपने तर्क के समर्थन में, वकील ने ओम प्रकाश विजय बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा है, जो 2011 डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) यूसी 684 में रिपोर्ट किया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, 14.06.2022 और 13.04.2023 के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाए।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुतियां:

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एनसीडीआरसी द्वारा निर्धारित सुनवाई की तारीख के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के वकील को ई-मेल भेजकर 25.03.2022 को शारीरिक सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि तारीखों के बारे में पर्याप्त ज्ञान और सूचना होने के बावजूद, जानबूझकर और जानबूझकर, याचिकाकर्ताओं के वकील उपस्थित नहीं हुए, इसलिए, एनसीडीआरसी ने अभियोजन पक्ष की कमी के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। वकील ने प्रस्तुत

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

किया कि बहाली आवेदन में देरी और अनुपस्थिति के बारे में कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया था, इसीलिए, एनसीडीआरसी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर बहाली आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ताओं द्वारा 14.06.2022 और 13.04.2023 के आदेशों के खिलाफ दायर रिट याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान राज्य के भीतर कार्रवाई का कोई कारण नहीं उठा है और दोनों आदेश एनसीडीआरसी, नई दिल्ली द्वारा पारित किए गए हैं। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत के निवारण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना था। अपने तर्क के समर्थन में, वकील ने मेसर्स पुरी इन्वेस्टमेंट्स बनाम मेसर्स यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 1609/2022) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा है। उन्होंने राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 पर भी भरोसा रखा, जिसमें विनियमन संख्या 233 के रूप में एक प्रावधान शामिल किया गया है जो प्रभारी अधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित है। वकील ने दलील दी कि, मामले के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित विभाग को आदेश और विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध पारित निर्णय के बारे में सूचित करे। वकील ने दलील दी कि इस मामले में, मामले के प्रभारी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती और वह 14.06.2022 के आदेश के लिए उत्तरदायी और उत्तरदायी हैं। वकील ने दलील दी कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है और रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

विश्लेषण, चर्चा और तर्क:

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. यह तथ्य विवाद में नहीं है कि प्रतिवादियों ने राज्य आयोग के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसी को 27.09.2018 के आदेश के तहत अनुमति दी गई। यह माना गया कि शिकायतकर्ता 46,40,400 रुपये की राशि और 2,00,000 रुपये का मुआवजा और 50,000 रुपये की लागत के साथ-साथ 9% ब्याज पाने का हकदार है। पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपील दायर की और यह निर्णय के लिए लंबित रहा और इस बीच, एनसीडीआरसी द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए गए जिसमें याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत राशि अर्थात् 13.02.2020 के आदेश के तहत 46,40,400 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने उक्त आदेश का अनुपालन किया ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को बाद की तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया था और यहां तक कि अपील पर बहस करने के लिए प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील को एक ई-मेल भी भेजा गया था, हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील उपस्थित नहीं हुए और अभियोजन के अभाव में अपील खारिज कर दी गई।

7. कानून की यह सुस्थापित प्रस्तावना है कि मुकदमेबाजी में किसी पक्ष को उसके वकील की गलती के लिए पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है और चूंकि तत्काल मामले में बड़ी राशि दांव पर लगी है और याचिकाकर्ताओं ने एनसीडीआरसी द्वारा जारी प्रत्येक निर्देश का अनुपालन किया है। इस मामले का निर्णय इसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना था, लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की अनुपस्थिति और याचिकाकर्ताओं के वकील की उपस्थिति के

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

अभाव में मामले को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने एक बहाली आवेदन दायर करके अनुपस्थिति के कारणों को सही ठहराने की कोशिश की, हालांकि, इसे एनसीडीआरसी ने 13.04.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। ओम प्रकाश विजय (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि किसी पक्षकार के वकील की गलती के कारण मुकदमेबाजी को नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता है। वर्तमान मामला एक उदाहरण है जहां याचिकाकर्ता अपने वकील की ओर से गलती के लिए पीड़ित हैं।

8. अब यह न्यायालय प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है कि "क्या इस न्यायालय के पास इस मामले की सुनवाई और निर्णय करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि विवादित आदेश एनसीडीआरसी, नई दिल्ली द्वारा पारित किया गया है। अब इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु यह मुद्दा शेष है कि क्या राजस्थान राज्य में कोई वाद-कारण या आंशिक वाद-कारण उत्पन्न हुआ है, जो याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार देता है?"

9. वाद हेतुक से तात्पर्य वाद करने के अधिकार से है। वे भौतिक तथ्य जो वादी के लिए अभिकथन और सिद्ध करने हेतु अनिवार्य हैं, वाद हेतुक कहलाते हैं। वाद हेतुक को किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक रूप से इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि वादी के लिए न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि उसे सिद्ध किया जाए, तो प्रत्येक तथ्य को सिद्ध करना आवश्यक होगा। नकारात्मक रूप से, इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक वह तथ्य जो, यदि सिद्ध न हो, प्रतिवादी को तत्काल

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

निर्णय का अधिकार देता है, वाद हेतुक का भाग होगा। इसका महत्व किसी भी संदेह से परे है। प्रत्येक वाद के लिए, वाद हेतुक का होना आवश्यक है, अन्यथा, वादपत्र या रिट याचिका, जैसी भी स्थिति हो, तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (2) इस प्रकार है:

"226. (2) खंड (1) द्वारा किसी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भी किया जा सकता है जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद का हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का मुख्यालय या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।"

11. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20(सी) इस प्रकार है:

"20. अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद का कारण उत्पन्न होता है। - पूर्वोक्त सीमाओं के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर

(क) -(ख) * * *

(ग) कार्रवाई का कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है।

12. यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 141 के मद्देनजर, इसके प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, सीपीसी की धारा 20 (सी) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में प्रयुक्त वाक्यांश, समान होने के कारण, रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। इस न्यायालय द्वारा सीपीसी की धारा 20(सी) की व्याख्या पर दिए गए निर्णय रिट कार्यवाही पर भी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

लागू होंगे। मामले पर आगे चर्चा करने से पहले यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अभिवचन किए गए तथ्यों का पूरा समूह वाद हेतुक नहीं बनता, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा डिग्री प्राप्त करने से पहले जो सिद्ध करना आवश्यक है, वह है भौतिक तथ्य। भौतिक तथ्य शब्द को समाकलित तथ्य भी कहा जाता है।

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, निर्विवाद रूप से, भले ही वाद हेतुक का एक छोटा सा अंश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, न्यायालय के पास मामले में अधिकार क्षेत्र होगा।

14. भारत संघ एवं अन्य बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एवं अन्य (2002) 1 एससीसी 567 में यह माना गया था कि किसी रिट याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने के लिए उसे यह प्रकट करना होगा कि वाद के कारण के समर्थन में प्रस्तुत अभिन्न तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि न्यायालय को विवाद पर निर्णय करने के लिए सशक्त बनाया जा सके और इसका संपूर्ण या आंशिक मामला उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो।

15. इस न्यायालय को प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई सार नहीं लगता है कि इस न्यायालय के पास एनसीडीआरसी द्वारा पारित दिनांक 14.06.2022 और 13.04.2023 के आक्षेपित आदेशों की वैधता को चुनौती देने वाली तत्काल रिट याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस कारण से कि मूल आक्षेपित आदेश अर्थात दिनांक 27.09.2018 का आदेश जयपुर में राज्य आयोग द्वारा पारित किया गया है और उस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

दायर अपील में नई दिल्ली में एनसीडीआरसी के समक्ष चुनौती दी गई थी। चूंकि उक्त अपील को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है और बहाली भी खारिज कर दी गई है, जयपुर में राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश लागू हो गया है और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना याचिका प्रस्तुत की है और जयपुर में राज्य आयोग ने याचिकाकर्ता-विभाग के पदाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किए हैं अतः, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार है।

16. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इब्रत फैजान बनाम ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में लाइव लॉ (एससी) 481 2022 में रिपोर्ट किया है कि एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तभी विचारणीय होगी जब आदेश राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (संक्षेप में '2019 का अधिनियम') की धारा 58(1)(ए)(i) या धारा 58(1)(ए)(ii) के तहत निहित शक्तियों के तहत पारित किया गया हो। राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के खिलाफ कोई और अपील प्रदान नहीं की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 58(i)(ए) (iii)(iv) के तहत पारित किसी भी अन्य आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

17. इस मामले में, संबंधित उच्च न्यायालय का तात्पर्य इस न्यायालय से है क्योंकि जयपुर स्थित राज्य आयोग द्वारा पारित सभी आदेशों को याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी और अभियोजन के

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

अभाव में उसे खारिज कर दिया गया था और बाद में राष्ट्रीय आयोग ने भी बहाली आवेदन को अस्वीकार कर दिया था और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस न्यायालय को प्रतिवादी के वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के पास ही रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार है क्योंकि राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी और एनसीडीआरसी दिल्ली में स्थित है। इब्रत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे गए शब्द 'संबंधित उच्च न्यायालय' फैजान (उपरोक्त) से तात्पर्य इस न्यायालय से है, जिसे वर्तमान याचिका पर विचार करने का अधिकार है।

निष्कर्ष:

18. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है और एनसीडीआरसी द्वारा पारित दिनांक 14.06.2022 और 13.04.2023 के आक्षेपित आदेश निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं। इसके परिणाम आगे आएंगे। एनसीडीआरसी के समक्ष अपील को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को 10,000 /- रुपये का भुगतान करें। मुकदमे के पक्षकारों को 08.02.2024 को एनसीडीआरसी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। एनसीडीआरसी से अपेक्षा की जाती है कि वह लंबित अपील की कार्यवाही में शीघ्रता बरते।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/157/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(28/05/2025 को अपराह्न 03:38:54 बजे डाउनलोड किया गया)

19. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) भी निपटाए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

एमआर/243

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी